# मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-14

## संक्षिप्त कार्य विवरण

### पत्रक भाग-एक

**गुरुवार, दिनांक 03 मार्च, 2005 (फाल्गुन 12, 1926)**

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

## 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 19 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 107 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 82 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

## 2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने जिला टीकमगढ़ स्थित निवाड़ी विधान सभा क्षेत्र सहित अनेक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्सकों का अभाव होने

(2) श्री रामदास उइके, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के विकासखंड मोंरखेड़ा अंतर्गत माध्यमिक शाला के मेनीखापा में अतिरिक्त शाला भवन का निर्माण न किये जाने,

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने जिला मुरैना की सबलगढ़ तहसील में चंबल नदी पर बने घाट के दोनो ओर पेनटन ब्रिज न बनाने से दुर्घटना का भय होने,

(4) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य ने सीधी जिले के ग्राम कोल्हुआ के आदिवासी कृषकों की भूमि का मालिकाना हक न दिये जाने,

(5) श्री विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा, सदस्य ने छतरपुर शहर में जल संकट के संबंध में,

(6) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य ने खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में बीड़ी कारखाने के श्रमिकों को वेतन न दिये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

## 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से दिनांक 31 मार्च, 2004),

(ख) मध्यप्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004; तथा

(ग) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004,

पटल पर रखे।

## 4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के ग्रामों में पुलिस बल की कमी से अपहरण की घटनाएं होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री बाबूलाल सीताराम महाजन, सदस्य ने खरगोन जिले की कृषि उपज मंडी खरगोन में कपास क्रय न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

## 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले के -

(क) ग्राम पंचायत कोनी अन्तर्गत हटवाहा नाला पर स्टापडेम कम-काजवे बनाये जाने,

(ख) ग्राम कलावल में माध्यमिक शाला का भवन बनाये जाने,

(ग) ग्राम भिटारी-कलावल-कहन मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(घ) ग्राम बराकला में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने,

(ङ) ग्राम बराकला में हाई स्कूल खोले जाने,

(च) सेमरी कटन मार्ग से कठवरिया तक सड़क बनाये जाने,

(छ) ग्राम मढ़ीकला स्थित तालाब का गहरीकरण कराये जाने,

(ज) ग्राम भिटारी से मुख्य मार्ग तक डब्लू.बी.एम. सड़क एवं पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(झ) ग्राम कठवरिया में विद्युतीकरण कराये जाने,

(ञ) ग्राम कोंडर के बाबू तालाब का गहरीकरण कराये जाने,

(ट) ग्राम कोंडर स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,
(ठ) ग्राम फतेहपुर में प्राथमिक शाला खोले जाने,
(ड) ग्राम तिलगवां कलां की अ.जा. बस्ती में कांक्रीट रोड बनाये जाने,
(ढ) ग्राम अतरौरा में कांक्रीट रोड एवं नाली का निर्माण कराये जाने,
(ण) ग्राम खजहे से मुख्य सड़क तक डब्लू.बी.एम. सड़क बनाये जाने,
(त) ग्राम तिलगवां खुर्द में सीमेन्ट कांक्रीट रोड बनाये जाने,
(थ) ग्राम बड़ेरा में कांक्रीट रोड बनाये जाने,
(द) ग्राम बड़ेरा में हैण्ड पम्प लगाये जाने,
(ध) लिंक रोड जसो से कोनी तक पहुंच मार्ग बनाये जाने,
(न) लिंक रोड सुरदहा से बरहा तक डब्लू.बी.एम. सड़क बनाये जाने,
(प) ग्राम जसो में शासकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने,
(फ) अमकुई बांध से निकलने वाली नहर की सफाई एवं मरम्मत कराये जाने,
(ब) ग्राम जसो में स्टेडियम बनाये जाने,
(भ) ग्राम जसो में झिन्ना नामक धार्मिक स्थान से निकलने वाले नाले को गहरा करा कर उस पर स्टापडेम बनाये जाने,
(म) ग्राम जसो स्थित अस्पताल में डाक्टर की पदस्थापना,वार्ड को चालू कराने तथा अस्पताल की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने,
(य) ग्राम जसो में कृषि उपज मंडी बनाये जाने,
(र) ग्राम करसरा से अठवरहीमार्ग का मुरमीकरण कराने तथा पुलिया निर्माण कराये जाने,
(ल) अन्तिया बांध की मरम्मत एवं नहर से पानी सप्लाई कराये जाने,
(व) ग्राम खड़ौरा से झाली तक डब्लू.बी.एम. सड़क बनाये जाने, तथा
(श) ग्राम बौलिहा से सेमरिया तक डब्लू.बी.एम. सड़क बनाये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

## 6. वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या - 24 | लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए पांच सौ सतावन करोड़, उनतालीस लाख, चार हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या - 28 | राज्य विधान मण्डल के लिए चौबीस करोड़, निन्यानवे लाख, छब्बीस हाजर रूपये, |

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या - 42 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल के लिए एक सौ चौहत्तर करोड़, दस लाख, पचहत्तर हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या - 67 | लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए दो सौ अड़तालीस करोड़, तीस लाख, चौदह हजार रूपये, तथा |
| अनुदान संख्या - 76 | लोक निर्माण से संबंधित नाबार्ड एवं विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए दो सौ सतावन करोड़, दो लाख, सत्ताईस हजार रूपये, |

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| **मांग संख्या** | **कटौती प्रस्ताव क्रमांक** |
|---|---|
| मांग संख्या - 24 | 2,3,4,6,7,9,10,13,14,16,17 |
| मांग संख्या - 28 | 1 |
| मांग संख्या - 42 | 1,3 |
| मांग संख्या - 67 | 1,2,3 |
| मांग संख्या - 76 | 1,3 |

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(2) श्री भूपेन्द्र आर्य
(3) श्री अजय सिंह
(4) श्री रामलखन शर्मा
(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(6) श्री अजय विश्नोई

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.**

(7) डॉ. गोविन्द सिंह
(8) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा
(9) श्री लाल सिंह आर्य
(10) श्री मनमोहन शाह बट्‌टी
(11) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

(12) श्री दिलीप सिंह गुर्जर

(13) श्री सत्यदेव कटारे
(14) श्रीमती संध्या राय
(15) श्री रामनिवास रावत
(16) श्री आरिफ अकील
(17) श्रीमती सुशीला राकेश सिरोठिया
(18) सुश्री कुसुम सिंह महदेले
(19) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(20) श्री नानालाल पाटीदार
(21) श्री दुर्गालाल विजय
(22) श्री दीवान सिंह पटेल

**सभापति महोदय (श्रीमती सुधा जैन) पीठासीन हुईं**

(23) श्री विजय बहादुर सिंह बुंदेला
(24) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(25) श्री बहादुर सिंह चौहान
(26) श्रीमती अलका जैन
(27) श्री सुनील नायक
(28) श्रीमती सोनाबाई अहिरवार
(29) श्री निशिथ पटेल
(30) श्री बृजमोहन धूत

श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) चौधरी चंद्रभान सिंह, वन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 10 वन के लिए चार सौ नब्बे करोड़, पांच लाख, अठावन हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांग पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| **मांग संख्या** | **कटौती प्रस्ताव क्रमांक** |
|---|---|
| मांग संख्या - 10 | 1,2,3,4,5,8 |

मांग और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

**सभापति महोदय (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) पीठासीन हुए.**

(2) श्री अजय विश्नोई
(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(4) श्री बृजेन्द्र तिवारी
(5) श्री रामलखन शर्मा
(6) श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद)

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

(7) श्री रामनिवास रावत
(8) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(9) श्री ज्ञान सिंह
(10) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा
(11) श्री ध्रुव प्रताप सिंह
(12) सुश्री उषा ठाकुर
(13) श्री राजेन्द्र सिंह
(14) श्री मनमोहन शाह बट्टी

चौधरी चन्द्रभान सिंह, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.48 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च, 2005 (फाल्गुन 13, 1926) के पूर्वान्ह 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

**डॉ. ए.के.पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**